न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 18/2015 (2015/00079) जिला–अजमेर

परमेश्वर दत्तक पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्री श्योनारायण जाति जाट निवासी बोगला तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थी

3. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक लि0 केकड़ी जिला अजमेर।

––––तरतीबी प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 22–10–2014
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2013

————

उपस्थित– 1. श्री शिव प्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री दिनेश साहू अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 10–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ग्राम बोगला स्थित खसरा नम्बर 459 रकबा 1.08 किस्म बारानी प्रथम का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजियात का पूर्व में रेकार्डेड खातेदार रामचन्द्र था व रामचन्द्र ने अपने जीवनकाल में समाज के रीति रिवाज के अनुसार अपीलार्थी को गोद लिया था। दत्तक पुत्र होने से विवादित आराजियात अपीलार्थी को प्राप्त हुई। अपीलार्थी उक्त आराजियात का उपभोग व उपयोग करता चला आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा गलत रूप से अपीलार्थी को पक्षकार बनाए बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष पेश कर

एक तरफा अपीलार्थी की खातेदारी निरस्त कर विवादित आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करने का गैर कानूनी आदेश दिनांक 22–10–2014 पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–10–2014 एक तरफा पारित किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया था और ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस जारी किया गया था। इसलिए अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं हो सकी। सर्वप्रथम अपीलार्थी हल्का पटवारी के पास नकल लेने के लिए दिनांक 20–2–2015 को गया तब हल्का पटवारी ने कहा कि तुम्हारी तो अब खातेदारी ही नहीं है तुम्हारी खातेदारी समाप्त हो गई है। तब तुरन्त उसी दिनांक को वकील से मिलकर उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 24–2–2015 को प्राप्त हो गई। अपीलार्थी गरीब काश्तकार है तथा कृषि कार्य करने के कारण व्यस्त हो गया। कृषि कार्य से फ्री होने पर अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में

हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 459 रकबा 1.08 जिसके नये खसरा नम्बर 398 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा का अपीलार्थी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चला आ रहा है। इसके बावजूद भी अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया और न ही सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत किसी व्यक्ति की खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है । धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है किसी रेकार्डेड खातेदार की खातेदारी को बिना पक्षकार बनाए व सुनवाई का अवसर प्रदान किये समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद खातेदारी उद्घोषणा का दिनांक 27–7–2012 को पेश कर दिया था जो विचाराधीन है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पत्रावलियों को इकजाई नहीं कर अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजियात को भूमि विकास बैंक लि0 केकड़ी के यहां रहन रखा हआ है परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बैंक को भी पक्षकार नही बनाया गया तथा भूमि विकास बैंक को भी सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई एकपक्षीय रिपोर्ट एवं तहसीलदार की गलत अभिशंषा के आधार पर निर्णय पारित किया है क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मूल वाद अपीलार्थी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के यहां विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार केकड़ी स्वयं पक्षकार है व पैरोकार सरकार द्वारा उक्त वाद में जवाब दावा भी पेश किया जा चुका था। तहसीलदार को उक्त वाद की पूर्ण जानकारी थी उसके बावजूद भी तहसीलदार ने प्रत्यर्थी संख्या–1 से मिलीभगत कर एकतरफा रिपोर्ट प्रेषित की जो निरस्त योग्य थी। विवादित आराजियात का अपीलार्थी आज भी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–10–2014 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विवादित

आराजियात के पूर्व खातेदार रामचन्द पुत्र बख्तावर के वारिसान से क्रय की थी। विवादित आराजियात पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 1.08 में है। उक्त हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 1.08 में पूर्ववर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30–6–95 के अनुसार प्रत्यर्थी भंवरलाल पुत्र श्योनारायण जाट साकिन देह के नाम दर्ज करने की अभिशंषा की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा तहसीलदार, केकडी को ग्राम बोगला के हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 1.08 हैक्टर भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम अंकन किये जाने की स्वीकृति अपने आदेश दिनांक 22–10–2014 द्वारा प्रदान की है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। विवादित आराजियात बाबत उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष दावा विचाराधीन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा उनके आदेश दिनांक 22–10–2014 द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार केकड़ी को ग्राम बोगला के हाल खसरा नम्बर 459 रकबा 1.08 हैक्टर भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 श्री भंवरलाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट के नाम अंकन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश में उल्लेख किया है कि ग्राम बोगला की वर्किंग जामाबंदी सम्वत 2042–45 के खाता संख्या 233 अनुसार साबिक खसरा नम्बर 398 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि पूर्व खातेदार श्री रामचन्द्र पुत्र बख्तावर के वारिसान भूली पुत्री रामचन्द्र, सोसर पुत्री रामचन्द्र द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 भंवरलाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट को बेचान की गई जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30–6–1995 प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेचान नामा जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 30–6–1995 स्वीकृत किया गया है उपलब्ध नहीं है एवं न ही प्रत्यर्थी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा कोई बेचाननामा बहस के दौरान प्रस्तुत किया है। साथ ही विवादित आराजियात बाबत मूल वाद अपीलार्थी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के यहां विचाराधीन है जिसमें तहसीलदार केकड़ी स्वयं पक्षकार है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय अपीलार्थी को पक्षकार भी नहीं बनाया गया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जबकि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 459 रकबा 1.08

जिसके नये खसरा नमघ्बर 398 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा का अपीलार्थी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। चूंकि राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–136 का क्षैत्र व्यापक नहीं होकर सीमित है जिसके द्वारा रेकार्ड अथवा दस्तावेज में देखते ही कोई त्रुटि नजर आये उसे दोनों पक्ष की सहमति से दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है जबकि इस प्रकरण में समस्त कार्यवाही एक पक्षीय किया जाना स्पष्ट है क्योंकि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 22–10–2014 पारित किये जाने से पूर्व पूर्ण सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर ही प्रदान नहीं किया गया और उसकी खातेदारी भूमि से खातेदारी अधिकार समाप्त करने के एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये गये जो विधि विरूद्ध होकर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत भी है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन ओदश दिनांक 22–10–2014 त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–10–2014 त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर